न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, R.A.S.

राजस्व विविध सं. : 68/2014
दायरा तिथि : 05.09.2014
आदेश तिथि : 8.11.2016

प्रार्थीः–
1– मदन कुवर बेवा शिवदर्शनसिंह
2– नरेन्द्रसिंह पुत्र
3– युवराजसिह पुत्र शिवदर्शनसिंह
तमाम जातिगण राजपूत
निवासीगण साण्डेराव तह. सुमेरपुर

बनामः

अप्रार्थीः–
1– देवाराम पुत्र मनरूप जाति रेबारी
निवासी साण्डेराव तह. सुमेरपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
(भूमिधारी) , सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान आर.टी. एक्ट , 1955 एवं सपठित आदेश–39, नियम–1 व 2 सी.पी.सी.

–: आदेश :–

आदेश तिथि :– 8.11.2016

यह है कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली अदालत/कोर्ट सुमेरपुर में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान प्रार्थी व उसके अधिवक्ता तथा अप्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित। हमने, उभयपक्षीय बहस व दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन एवं परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति यह है कि प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा साण्डेराव, तह. सुमेरपुर में स्थित पुराने खसरा नं. 843 जिसके नये खसरा सं. 1531 रकबा 7.02 हेक्टर भूमि बाबत् वादपत्र द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्ति करने की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु अनुतोष चाहा गया है, साथ ही प्रश्नगत् भूमि से संबंधित मूल वाद पत्रावली के निस्तारण तक इस प्रकरण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। इस पत्रावली पर उपलब्ध तमाम तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत प्रश्नगत् प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, असुविधा का संतुलन व असाध्य क्षति जैसे कानूनी बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे बनने प्रतीत होते हो। फलतः उपरोक्त कानूनी बिन्दु प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण अपने पक्ष मे सिद्ध नहीं कर पाया है और इस विधिक स्थिति में हमारे मतानुसार प्रार्थीगण का कथित प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय नही होने से इसे खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचनाओं के परिणाम स्वरूप सरहद मौजा खेजडिया तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 843 जिसके नये खसरा सं. 1531 रकबा 7.02 हेक्टर से संबंधित प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा के बारे मे कथित प्रार्थना पत्र प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश बरोज आज दिनांक 8.11.2016 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner